न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 157/2021	धारा अन्तर्गत 53 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 11.02.2023
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– श्री बाबूलाल जैन	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

पुरूषोत्तम पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. ब्रह्मानन्द पुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद हाल निवासी ग्राम कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. कन्हैयालालपुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां
3. हेमराजपुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0 –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है किः–

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी ग्राम रटावद का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकवा	लगान	दिशा
पुरूषोत्तम पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां	712	0.120 है0	–	–
	715/2	0.085 है0	–	दक्षिण
	किता –2	0.205 है0	–	–
ब्रह्मानन्द पुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड, कन्हैयालालपुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड हेमराजपुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां	715/1	0.035 है0	–	उत्तरी
	38	0.130 है0	–	–
	746	0.040 है0	–	–
	किता –3	0.205 है0	–	–

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक .11.02.2023 को निर्गत किया गया।

अध्यक्ष

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज॰)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–157/21
दायरा दिनांक :–21.12.2021
निर्णय दिनांक :– 16.12.22

.उनवान

पुरूषोत्तम पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां
–वादीगण

बनाम

1. ब्रह्मानन्द पुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद हाल निवासी ग्राम कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. कन्हैयालालपुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां
3. हेमराजपुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0 –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 16.12.22

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री बाबूलाल जैन एड0– वादीगण

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया किग्राम रटावद तहसील बारां में खसरा नं0 38 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 712 रकबा 0.12 हे0 खसरा नं0 715 रकबा 0.12 हे0, खसरा नं0 746 रकबा 0.04 हे0 कुल 4 किता रकबा 0.41 हे0 भूमि स्थित है। जो राजस्व कागजात में वादी के नाम 1/2 तथा प्रतिवादी कमं 01 ता 03 के नाम 1/6, 1/6 के रूप में दर्ज है। जिसे प्रस्तुत वाद में आगे विवादग्रस्त भूमियों के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है। किन्तु शामलाती खाता होने से उनको परेशानी आती है। तथा भूमियों का विकास नहीं कर पाते है। इस कारण अब खाता शामलाती रखना सम्भव नहीं है। दिनांक 16.12.2021 को प्रतिवादीगण ने वादी से उसके हिस्से पर काश्त करने में आनाकानी की, जबकि वादी खसरा नं0 712 रकबा 0.12 हे0 तथा शेष भूमि खसरा नं0 715 में से काश्त कर रहा है। इस कारण अब खाता शामलात संभव नहीं है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

ने प्रतिवादीगण से खाता अलग कराने के लिए कई बार कहा। अभी प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी वादी ने खाता अलग करने की कहा किन्तु प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया इस खाता अलग नहीं हो सका। वाद कारण दिनांक 16.11.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसका हिस्सा काश्त करने की अड़चन डालने पर बमुकाम रटावद तहसील बारां उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उप0 नहीं होने के कारण उनके विरूद्धएक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2072–75 खाता सं0 134 पेश की गई। साक्ष्य वादी में सूरज का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम रटावद तहसील बारां में स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज वादी को शामलाती खाता होने के कारण काश्त करने में पेशानी आती है। वादी अपना हिस्सा अलग खाते दर्ज कराना चाहते है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अलग–अलग खाता दर्ज करवाने के लिए कहा परन्तु उन्होंने खाता विभाजन कराने से साफ मना कर दिया वादी को काश्त करने में परेशानी आती है। इसलिए अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करा कर पृथक खाते दर्ज करवाना चाहता है। वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दीग्राम रटावद सम्वत् 2072–75 खाता सं0 134 के अनुसार वादी का 1/2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी अपने हिस्सा 1/2 का खाता विभाजन करा कर पृथक से खाता दर्ज करवाना चाहता है। इससे यह साबित होता है। कि वादी अपने हिस्से 1/2 को राजस्व रिकार्ड अनुसार बटंवारा कराना चाहता मुताबिक जमाबन्दी वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज होना पाया जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में न्यायालय में उप0 होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था जो उन्होंने न्यायालय में उप0 होकर नहीं किया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड के वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम रटावद तहसील बारां के खसरा नं0 38 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 712 रकबा 0.12 हे0 खसरा नं0 715 रकबा 0.12 हे0, खसरा नं0 746 रकबा 0.04 हे0 में वादी का हिस्सा 1/2 मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्तुत भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तद्नुरूप प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्रारम्भिक डिक्री

वाद संख्या 157 / 2021	अन्तर्गत 53 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 16.12.22
समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री बाबूलाल जैन		अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री

वाद शीर्षक

उनवान

पुरूषोत्तम पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां

–वादीगण

बनाम

1. ब्रह्मानन्द पुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद हाल निवासी ग्राम कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. कन्हैयालालपुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां
3. हेमराजपुत्र श्री पुष्पदयाल जाति धाकड निवासी ग्राम रटावद तहसील बारां जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज0

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम रटावद तहसील बारां के खसरा नं0 38 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 712 रकबा 0.12 हे0 खसरा नं0 715 रकबा 0.12 हे0, खसरा नं0 746 रकबा 0.04 हे0 में वादी का हिस्सा 1/2 मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्तुत भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 16.12.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्डअधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		